अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 04/14

1. गुरदेवसिंह पुत्र जीतसिंह जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर मुख्त्यारखास सतनामसिंह पुत्र गुरदेवसिंह जाति बावरी निवासी 66 एन पी तह0 रायसिंहनगर।
2. लाभसिंह पुत्र जीतसिंह जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर जरिये मुखत्यारखास भगतसिंह पुत्र लाभसिंह जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान
2. पलसिंह पुत्र जीतसिंह जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर
3. क्लो पुत्री जीतसिंह पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति बावरी निवासी चक 39 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. लली पुत्री जीतसिंह पत्नी राजकुमार बावरी निवासी 16 एल डी खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. कमी पुत्री जीतसिंह पत्नी करनैलसिंह जाति बावरी निवासी 3 एम एल डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
6. पुती देवी पुत्री जीतसिंह पत्नी मेवा जाति बावरी निवासी 1 आर टी रामसिंहपुर तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
7. विजयसिंह
8. राजुसिंह
9. राणाी
10. इन्दिरा पुत्रान/पुत्रियान स्व0 प्रकाशो पुत्री जीतसिंह पत्नी मिठुसिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 154 दिनांक 29–5–14 नायब तहसीलदार समेजा कोठी, तहसील रायसिंहनगर

उपस्थित : 1.श्री मती मंजू गुप्ता , अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
2.श्री टीटू मदान, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं0 5– 6–9–10
3.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1
4.रेस्पो0 सं0 2–3–4–7–8 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही

आदेश

दिनांक : 15–12–15

प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि अपीलांटस के पिता जीतसिंह को प्री–55 के तौर पर चक 6 पी टी डी बी के खाता सं0 56 मु0 नं0 239/351 के 6–198 है0 कमाण्ड भूमि अलॅाट की गई थी। जीतसिंह की मृत्यू दिनांक 9–12–08 को हो गई तथा बहिनों के द्वारा तीनों भाईयों अपीलांटस व

जिला कलक्टर (प्रशासन)

रेस्पो0 सं0 2 के हक में अपना हक छोड़ दिया। अतः तीनों ने विभाजन करके भूमि पर काश्त करते रहे। अपीलांट सं0 1 के कब्जा में किला नं0 18 ता 25 का रकबा व अपीलांट सं0 2 के कब्जा में किला नं0 1 ता 8 का रकबा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् नोटिस जारी किए, बिना सुनवाई का अवसर दिये, वसीयत के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल एकपक्षीय स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। कब्जा अपीलांटस का है। अकेले रेस्पो0 सं0 2 के नाम से समस्त रकबा का इंतकाल कानूनन नहीं किया जा सकता है। जीतसिंह ने अपने जीवनकाल में कोइ वसीयत नहीं की है और न ही करने का अधिकारी था क्योंकि भूमि गैरखातेदारी दर्ज होना इंतकाल में भी अंकित किया हुआ है। कथित वसीयतनामा दिनांक 5–9–08 कुटरचित है। अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत की जॉच करने व इंतकाल दर्ज करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वसीयत की सत्यता के बारे में केवल सिविल कोर्ट ही सुनवाई कर सकती है तथा कोई प्रोबेट सिविल न्यायालय से प्राप्त नहीं किया गया है। गैरखातेदारी रकबा की वसीयत नहीं हो सकती है और न ही इंतकाल हो सकता है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के पिता जीतसिंह को भूमि का आवंटन हुआ था। तीनों ने घरू विभाजन करके भूमि पर काश्त करते रहे आ रहे थे। अपीलांट सं0 1 के कब्जा में किला नं0 18 ता 25 का रकबा व अपीलांट सं0 2 के कब्जा में किला नं0 1 ता 8 का रकबा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत् नोटिस जारी किए, बिना सुनवाई का अवसर दिये वसीयत के आधार पर रेस्पो0 सं0 2 के नाम से समस्त भूमि का इंतकाल स्वीकृत कर दिया है जबकि विवादित भूमि गैरखातेदारी है। गैरखातेदारी भूमि की न तो वसीयत हो सकती है और न ही इंतकाल किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्टस सं0 5–6–9 व 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि तीनों बहिनों द्वारा अपना हक अपीलांटस व रेस्पो0 सं0 2 के पक्ष में छोड़ दिया था। घरू बंटवारे के अनुसार तीनों अपने–2 कब्जा की भूमि पर काश्त करते आ रहे थे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल दर्ज किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 154 जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर दिनांक 29--5–14 को स्वीकृत किया गया है, को पटवारी द्वारा दिनांक 28–5–14 को खोला गया था तथा दिनांक 29–5–14 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मिलान किया गया था। जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के अनुसार जीतसिंह प्री–55 का अलॉटी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत वसीयत के आधार पर अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है जबकि रकबा गैरखातेदारी था। जीतसिंह के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं दिया गया है और न ही विधिवत् रूप से नोटिस जारी किए गए हैं बल्कि समाचार पत्र में सूचना का प्रकाशन करवाया गया है। बिना अपीलाटंस को सुनवाई का अवसर दिये, एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन इंतकाल पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रृटि की गई है। अतः सभी संबंधित पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन इंतकाल निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी संबंधित पक्षकारों को विधिसम्मत् नोटिस जारी कर, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18–1–16 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ मूल रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 15–12–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 15/12/15

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)